संख्या-4/2015/235/49-3-2015-100(19)/2010

प्रेषक,

राम किशोर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 26फरवरी, 2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-18 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: 968/बीज-उर्वरक, दिनांक 09 फरवरी, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत अनुदान दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 करोड़ (रू0 सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से प्राप्त क्लेम बिल के सापेक्ष निम्न विवरण एवं शर्तो के अनुसार रू0 10,63,65,670.00 (रू0 दस करोड़ तिरसठ लाख पैसठ हजार छः सौ सत्तर मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :--

वर्ष 2014-15 में पूर्व भण्डारण योजनान्तर्गत उर्वरकों के ब्याज, एवं भण्डारण पर व्यय का विवरण :--

पूर्व भण्डारण योजनान्तर्गत उर्वरकों के ब्याज, पूर्वभण्डारण, पर व्यय का माहवार विवरण :--

माह	ब्याज मद	भण्डारण मद	योग
अगस्त,2014	35,18,093.00	1,967.88	35,20,060.88
सितम्बर,2014	70,92,089.00	38,99,626.58	1,09,91,715.58
अक्टूबर,2014	3,89,55,341.00	51,57,173.00	4,41,12,514.00
नवम्बर,2014	2,94,13,563.00	28,32,549.00	3,22,46,112.00
दिसम्बर,2014	1,41,95,868.00	12,99,399.72	1,54,95,267.72
योग--	9,31,74,954.00	1,31,90,716.18	10,63,65,670.18

3- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ एवं वित्त नियंत्रक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपने स्तर से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत हुयी है और उक्त धनराशि को अन्य मदों में व्यय कदापि न किया जाय तथा यह भी पुष्टि कर ली जायेगी कि ब्याज तथा भण्डारण शुल्क मद के व्यय को प्रस्तावित अनुमोदित योजना के अनुसार ही स्वीकृत किया जा रहा है।

4- वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-9/636/49-3-2014-100(9)/2012, दिनांक 26मई, 2014 में प्राविधानित निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित की जाय।

5- धनराशि के आहरण एवं व्यय से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत की जा रही धनराशि मा0 मंत्रि-परिषद के निर्णयों व शासनादेशों के अनुरूप है। धनराशि के आहरण/व्यय से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1/2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22जुलाई, 2014 का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

-----2/----

http://shasanadesh.up.nic.in

6- उक्त जारी वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था तथा संगत नियमों के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- पी0सी0एफ0 में कार्यरत आडिट विंग इस शासनादेश द्वारा निर्गत की जा रही धनराशि स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद के निर्णय के तहत जारी शासनादेशों के क्रम में धनराशि की अनुमन्यता का परीक्षण कर अपनी आडिट रिपोर्ट दिनांक 31-12-2015 तक उपलब्ध करायेगें।

8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखा शीर्षक "2425-सहकारिता-आयोजनेत्तर-00-800-अन्य व्यय-05- रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण योजना-00-27-सब्सिडी " के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-2-170/दस-2015, दिनांक: 26-2-2015 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राम किशोर
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-4/2015/235(1)/49-3-2015,तद् -दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: --

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0,लखनऊ।
4- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0, लखनऊ ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम किशोर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in